

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजु देवी बनाम श्रीकरलाल

संख्या 37/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थ व अपूर्ण सं.। लगे. 4 के वकील उपस्थित। वकील अपूर्ण सं. 2 लगे. 4 के अलावा 19 हेतु दिनांक 10/11/24 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> अधिकारी बस्सी जिल-जयपुर</p>	
10/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 09/11/24 को पेश हो।</p>	
09/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16-01-24 को पेश हो।</p>	
10/11/24	<p>पत्रावली पेश। वकूलाय उप.। कदम प्रतीना पक्ष पर पुत्री गई। शकल पक्ष विवाह कारणी की विकास हेतु पक्ष ही लं राजन रिपोर्ट की अमान्यता करने हेतु मानव T.D जारी कराने हेतु महकत की करण विवाह कारणी को दौरान दावा निराकरण करना</p>	<p><i>(Signature)</i> अधिकारी (अ.स.स.स.) (अ.स.स.)</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड मजिस्ट्रेट (अ.स.स.) बस्सी जिल-जयपुर</p>

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि.
		<p> कामकाज के अन्तर्गत पत्र प्रेषित करके जिला कार्यालय जयपुर को प्रेषित करवाया जा रहा है। निवेदना पत्रों के अन्तर्गत प्रेषित करवाया जा रहा है। अन्तर्गत 2023 रकम 1.2018 के अन्तर्गत प्रेषित की प्रतिलिपि जयपुर के अन्तर्गत प्रेषित करवाया जा रहा है। निवेदन जिला कार्यालय में प्रेषित किया। </p>	
		<p> 16/11/2023 ज. जयपुर अधिकारी बस्सी, जिला-जयपुर </p>	